रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

CENTRAL S... LIBRARY 9/12/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 467] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 1999/भाद्र 30, 1921

No. 467] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1999/BHADRA 30, 1921

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1999

सा.का. नि. 657(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कंडला पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास का आबंटन) संशोधन विनियम,1999 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसरण में कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल, केन्द्र सरकार के अनुमोदन सहित एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (आवास का आबंटन) संशोधन विनियम 1999 कहे जाएंगे।

2. ये विनियम केन्द्र सरकार के अनुमोदन से उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

संशोधन

1. कंडला पोर्ट कर्मचारी (आवास आबंटन) विनियम 1964 के अधीन विद्यमान सारणी संख्या 1 को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

सारणी संख्या 1

आवास का प्रकार	नीचे दी गई श्रेणी में मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की कंडला/गांधीधाम में आवास संबंधी प्रकार की पात्रता
1	2
प्रकार I(एफ)	रु. 2560 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी।
प्रकार II(ई)	रु. 2561 से रु. 3600 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी।
प्रकार III(डी)	रु. 3601 से रु. 4349 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी।

1	2
प्रकार IV(सी)	रु. 4350 से रु. 6499 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी।
प्रकार V(बी)	रु. 6500 से रु. 8249 तक मूल वेतन आहरित करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी।
प्रकार VI(ए)	उपाध्यक्ष तथा विभाग प्रमुख अथवा रु. 8250 और अधिक आहरित करने वाले अधिकारी।

2. कंडला पोर्ट कर्मचारी (आवास आबंटन) विनियम 1964 के विनियम 6 के अधीन विद्यमान सारणी संख्या 2 को निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :

सारणी संख्या 2

आवास का प्रकार	नीचे दी गई श्रेणी के अनुसार मासिक वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों को वाडीनार में आवास के प्रकार की पात्रता
1	2
"ए" प्रकार	रु. 2800 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी।
"बी" प्रकार	रु. 2801 से रु. 4000 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी।
"सी" प्रकार	रु. 4001 से रु. 6500 तक मूल वेतन आहरित करने वाले कर्मचारी।
"डी" प्रकार	रु. 6501 तथा अधिक मूल वेतन आहरित करने वाले अधिकारी।

[फा. सं. पी.आर-12016/32/97-पीई-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :

1. मुख्य विनियम दिनांक 29-2-1964 को सा.का.नि. संख्या 300 में यथा अधिसूचित के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
2. पत्र संख्या पी ई के (52)/75 दिनांक 21-10-75 द्वारा संशोधित। सरकारी राजपत्र में दिनांक 27-11-1975 को प्रकाशित।
3. दिनांक 31-10-1986 के सा.का.नि. संख्या 1173 (अ) द्वारा संशोधित।
4. दिनांक 26-10-1990 के सा.का.नि. संख्या 887 (अ) द्वारा संशोधित।
5. दिनांक 2-7-1991 के सा.का.नि. संख्या 326 (अ) द्वारा संशोधित।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1999

G.S.R. 657 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees (Allotment of Residence) Amendment Regulations 1999 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla Port Trust and set out in the schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In pursuance of the provisions of Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby and with the approval of the Central Government make the following Regulations, namely :

1. These Regulations shall be called the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Amendment Regulations, 1999.

2. These Regulations shall come into force on the date of publication in the Official Gazette of the approval of the Central Government thereto.

AMENDMENT

(1) Substitute the existing Table No. 1 under Regulation 6 of the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 by the following table :

TABLE NO. 1

Type of Residence	Eligibility of empoyees to the type of residences at Kandla/Gandhidham drawing monthly basic pay in the range given below :
Type I (F)	Employees drawing basic pay upto Rs. 2560/-
Type II (E)	Employees drawing basic pay from Rs. 2561/- to Rs. 3600/-
Type III (D)	Employees drawing basic pay from Rs. 3601/- to Rs. 4349/-
Type IV (C)	Employees drawing basic pay from Rs. 4350/- to Rs. 6499/-
Type V (B)	Class I & II Officers drawing basic pay from Rs. 6500/- to Rs. 8249/-
Type VI (A)	Dy. Chairman and Heads of Department or Officers drawing Rs. 8250/- and above

(2) Substitute the existing Table No. 2 under Regulation 6 of the Kandla Port Employees (Allotment of Residence) Regulations, 1964 by the following :

TABLE NO. 2

Type of Residence	Eligibility of empoyees to the type of residence at Vadinar drawing monthly basic pay in the range given below :
'A' Type	Employees drawing basic pay upto Rs. 2800/-
'B' Type	Employees drawing basic pay from Rs. 2801/- to Rs. 4000/-
'C' Type	Employees drawing basic pay from Rs. 4001/- to Rs. 6500/-
'D'Type	Officers drawing basic pay of Rs. 6501/- and above.

[F.No. PR-12016/32/97-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

FOOT NOTE :

(i) The Principal Regulations were published in the Gazette of India as notified in GSR No. 300 dated 29-2-1964.

(ii) Amended vide letter No. PEK (52)/75 dated 21-10-1975
Published in the Official Gazette dated 27-11-1975

(iii) Amendment vide GSR No. 1173(E) on 31-10-1986

(iv) Amendment vide GSR No. 887(E) dated 26-10-1990

(v) Amendment vide GSR No. 326(E) dated 2-7-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999.